अनिल क्षेत्रपाल जे., के समक्ष

अंशुल गर्ग और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य प्रतिवादी 2020 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 22290

27 जनवरी, 2021

भारत का संविधान, 1950-पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947-एस. 8, 11, 20 और 31-कोविड-19 के कारण ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में पुनर्मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाएं/पुस्तकें-आयोजित, जब विश्वविद्यालय के एक सर्वोच्च निकाय ने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान किया है, तो परीक्षा नियंत्रक या कोई अन्य समिति एक ऑनलाइन परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे सकती है, जहां उत्तर पुस्तिकाओं का लेखन अपनी लिखावट में है और स्कैन करके विश्वविद्यालय को भेजा जाता है-विभिन्न अन्य अधिनियम ऑनलाइन परीक्षा को नियंत्रित करना जारी रखेंगे, सिवाय इसके कि उन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है-याचिका की अनुमति-उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन की अनुमति है।

यह माना गया कि समिति की बैठक के कार्यवृत्त को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। विश्वविद्यालय ने अब यह रुख अपनाया है कि चूंकि बैठक के कार्यवृत्त में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए, पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान को हटा दिया गया/हटा दिया गया माना जाएगा।यहां एक बार फिर यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए पहले से बनाए गए नियमों में संशोधन या संशोधन या उन्हें हटा दिया जाएगा।ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से जब विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय पहले ही उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान कर चुका है, तो इस न्यायालय के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना उचित नहीं होगा कि पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान करने वाला निर्णय ऑनलाइन परीक्षा पर लागू नहीं होगा।परीक्षा विभिन्न तरीकों से आयोजित की जा सकती है जैसे कि शारीरिक रूप से पेपर का प्रयास करना या मौखिक या व्यावहारिक या ऑनलाइन परीक्षा द्वारा। (पैरा 10)

आगे कहा कि अनुमोदित परीक्षा योजना समिति को विनियमों के बहिष्कार के लिए एक पूर्ण संहिता नहीं कहा जा सकता है।विनियमों में बनाए गए विभिन्न अन्य प्रावधान ऑनलाइन परीक्षा को नियंत्रित करना जारी रखेंगे, सिवाय इसके कि उन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

(पैरा 16)

अनुराग जैन, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए

अरुण कुमार बख्शी, अधिवक्ता
प्रतिवादी No.1&2 के लिए

इशमीत सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी नं.3 के लिए

अनिल क्षेत्रपाल, जे.।

(1) याचिकाकर्ताओं ने यहां वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स) के 3 साल के डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम/अंतिम सेमेस्टर/अंतिम वर्ष/अंतिम वर्ष की परीक्षा लिखी।वे "भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय पहलू" विषय की उत्तर पुस्तिकाओं/पुस्तकों का पुनर्मूल्यांकन करने से इनकार करने से व्यथित हैं।कोविड-19 महामारी के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी

(2) जिस प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है वह हैः-

“एक बार जब विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकाय द्वारा बनाए गए विनियम-सीनेट उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान करता है, तो क्या परीक्षा नियंत्रक के पास, एक छोटी समिति के विशिष्ट निर्णय की अनुपस्थिति में में, यह निर्णय लेने की शक्ति है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन उस ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में नहीं किया जा सकता है जिसमें छात्रों ने अपनी लिखावट में उत्तर पुस्तिका लिखने के बाद उन्हें विश्वविद्यालय को भेजा है?

(3) इस न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से पहले, पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की योजना पर ध्यान देना उचित होगा। खंड 8 में प्रावधान है कि विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण सीनेट में निहित होगा जो एक निगमित निकाय है।इसके अलावा, धारा 20 एक सिंडिकेट के गठन का प्रावधान करती है जिसे विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार चलाने की शक्तियां दी गई हैं। धारा 31 सरकार की मंजूरी से सीनेट को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नियम बनाने में सक्षम बनाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 20 की उप-धारा 5 भी सिंडिकेट को नियम बनाने में सक्षम बनाती है, हालांकि,

ये विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए हैं।इस स्तर पर अधिनियम की धारा 8,11,20 और 31 को निकालना उचित होगा।

"8. निगमित निकाय।—इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय का सर्वोच्च अधिकार सीनेट में निहित होगा जिसमें ये शामिल -

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) पदेन साथी; और

(घ) साधारण साथी। 11.सीनेटः- (1) [***]

(2) सीनेट।—सीनेट के पास विश्वविद्यालय के मामलों, सरोकारों और संपत्ति का पूरा प्रबंधन और अधीक्षण होगा और वह उस प्रबंधन के लिए प्रावधान करेगा और उस अधीक्षण का प्रयोग उस समय लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार करेगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई भी कार्य केवल निर्वाचित साधारण अध्येताओं के किसी भी वर्ग के बीच किसी भी रिक्ति के कारण या सामान्य अध्येताओं की कुल संख्या या सामान्य अध्येताओं में शामिल किए जाने वाले शिक्षा के पेशे के सदस्यों की कुल संख्या के कारण

अमान्य नहीं माना जाएगा, जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम है।

20. सिंडिकेट।—(1) विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार सिंडिकेट में निहित होगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः—

(क) अध्यक्ष के रूप में कुलपति

(ख) लोक शिक्षण निदेशक, पंजाब [* * *] (बीए) शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश; [* * *] (बीबी) लोक शिक्षण निदेशक, हरियाणा, और] (बीसी) लोक शिक्षण निदेशक, चंडीगढ़।

(ग) संकायों द्वारा ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के लिए चुने गए बारह से कम या पंद्रह से अधिक पदेन या साधारण अध्येता जो विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं।(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विनियम होंगे ।

इस प्रकार यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि सिंडिकेट के निर्वाचित सदस्यों में से अधिकांश विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए शिक्षण विभागों के प्रमुख या शिक्षक होंगे।

(3) यदि किसी चुनाव में यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए शिक्षण विभाग के कॉलेज का प्रमुख या शिक्षक है या नहीं, तो इस प्रश्न का निर्णय कुलपति द्वारा किया जाएगा।

(4) सिंडिकेट अपने किसी भी कार्यकारी कार्य को कुलपति या सिंडिकेट के सदस्यों में से नियुक्त उप-समितियों या उसके द्वारा नियुक्त समिति को सौंप सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो सिंडिकेट के सदस्य नहीं हैं या विनियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्राधिकरण को।

(5) सिंडिकेट ऐसे नियम बना सकता है जो इस अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं, जो वे विश्वविद्यालय की कार्यकारी सरकार को चलाने के लिए आवश्यक समझते हैं जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है।

31. नियम।—(1) सीनेट, सरकार की मंजूरी से समय-समय पर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए इस अधिनियम के अनुरूप नियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम-(क) साधारण अध्येताओं का कोई भी चुनाव कराने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए प्रावधान कर सकते हैं।

(ख) वह अनुपात जिसमें विभिन्न संकाय सिंडिकेट के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और जिस तरीके से ऐसा चुनाव किया जाएगा;

(ग) सीनेट, सिंडिकेट और संकायों की बैठकों में प्रक्रिया और व्यवसाय के लेन-देन के लिए आवश्यक सदस्यों की गणपूर्ति;

(घ) अध्येता मंडल के सदस्यों के रूप में अध्येताओं और अन्य लोगों की नियुक्ति, और ऐसे बोर्डों की प्रक्रिया और उत्तर गारग और व्यवसाय के सञ्चालन के लिए सदस्यों का कोरम आवश्यक है;

(ङ) कुलसचिव और विश्वविद्यालय के अधिकारियों और सेवकों और विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों, पाठकों और व्याख्याताओं की नियुक्ति और कर्तव्य;

(च) परीक्षकों की नियुक्ति, और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में परीक्षकों के कर्तव्य और शक्तियाँ;

(छ) धारा 25 के तहत परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र और वे शर्तें जिन पर ऐसा कोई प्रमाण पत्र दिया जा सकता है;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाने वाले स्नातकों और छात्रों के रजिस्टर और ऐसे किसी भी रजिस्टर में किसी नाम की प्रविष्टि या प्रतिधारण के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क (यदि कोई हो);

((i) महाविद्यालयों का निरीक्षण और महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट, पुनर्कथन और अन्य जानकारी;

(जे) विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा रखे जाने वाले छात्रों के रजिस्टर;

(के) छात्रों के स्थानांतरण के संबंध में विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों द्वारा पालन और लागू किए जाने वाले नियम;

(एल) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों, पाठकों या व्याख्याताओं द्वारा दिए जाने वाले शिक्षण पाठ्यक्रमों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस;

(एम) छात्रों का निवास और आचरण;

(एन) किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और 50 * * * और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली या प्रदान की जाने वाली डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, खिताब, सम्मान के अंक, छात्रवृत्ति और पुरस्कारों के लिए उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें;

51(ओ) * * *

(पी) डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस, खिताब, सम्मान के अंक, छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान या प्रदान किए गए पुरस्कारों के लिए विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी कॉलेज के छात्र नहीं होने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन की जाने वाली शर्तें;

(क्यू) किसी भी नियम, विनियमन, का परिवर्तन या रद्द करना।

धारा 40 के आधार पर इस अधिनियम के प्रारंभ पर लागू पंजाब विश्वविद्यालय का क़ानून या उप-कानून;

(आर) वार्षिक खातों की तैयारी और रखरखाव और उनका लेखापरीक्षा और सरकार को उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना; और

(एस) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों, लिपिक कर्मचारियों और सेवकों के लाभ के लिए ऐसी पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन जो वह उचित समझे;

52 [(टी) विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था।

(यू) विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी कॉलेजों के अलावा अन्य कॉलेजों के उचित प्रशासन के लिए पर्याप्त व्यवस्था]।

(4) सीनेट ने विभिन्न नियम बनाए हैं।खंड II में, विनियमन 31.1 में पुनः जाँच का प्रावधान है जबकि विनियमन 25 में B.Com डिग्री पाठ्यक्रम

की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है।15.12.2018 पर बनाए गए संशोधित विनियमन के विनियम 21 में भी पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है।पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर के खंड III में परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

(5) कोविड-19 महामारी को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा परीक्षाओं के संचालन में देरी हुई।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रमों की अंतिम/अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए परामर्श जारी किया ताकि छात्र अपने भविष्य की योजना बना सकें और आगे प्रवेश ले सकें।इसके अनुसरण में, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय ने वाणिज्य स्नातक के अंतिम वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया।उस उद्देश्य के लिए, अंतिम वर्ष सेमेस्टर परीक्षा के संचालन के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए सिंडिकेट द्वारा गठित कुलपति की अध्यक्षता में समन्वय समिति की एक ऑनलाइन बैठक 02.09.2020 पर आयोजित की गई थी।03.09.2020 पर आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को लिखित कथन के साथ संलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न किया गया है।ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार की गई योजना को मंजूरी दी गई।04.09.2020 पर, बैठक के कार्यवृत्त को कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

(6) 16.09.2020 पर, 15.09.2020 पर जारी दिशा-निर्देशों की निरंतरता में, परीक्षा नियंत्रक ने घोषणा की कि

ऑनलाइन परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।30.9.2020 पर, ऑनलाइन परीक्षाएँ संपन्न हुईं। 10.10.2020 पर परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था।याचिकाकर्ताओं ने पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध किया था जिसे खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति देखने का अवसर मिला।

(7) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि परीक्षा नियंत्रक के पास सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में संशोधन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसलिए, निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है। अधिनियम और बनाए गए नियमों और विनियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सीनेट सर्वोच्च प्राधिकरण है और एक बार विनियमों में पुनर्मूल्यांकन प्रदान किए जाने के बाद, परीक्षा नियंत्रक के पास इसके विपरीत निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II के विनियमन 14 के तहत कुलपति की कार्यकारी शक्ति भी उन्हें सीनेट द्वारा बनाए गए विनियमों में संशोधन करने में सक्षम नहीं बनाती है।

(8) दूसरी ओर, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

को मंजूरी देते समय उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान को बाहर करने के लिए सिंडिकेट द्वारा गठित समन्वय समिति द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णय को कुलपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।वह अजय कुमार कुकरेजा बनाम कैट, चंडीगढ़ और अन्य के फैसले पर भी भरोसा करते हैं।

(9) इस न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है और पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(10) 02.09.2020 पर आयोजित समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त को सावधानीपूर्वक देखने पर, यह स्पष्ट है कि बैठक में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान को हटाने या हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था।समिति की बैठक के कार्यवृत्त को ध्यान से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।विश्वविद्यालय ने अब यह रुख अपनाया है कि चूंकि बैठक के कार्यवृत्त में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान

हटा दिया गया/हटा दिया गया।यहां एक बार फिर यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए पहले से बनाए गए नियमों में संशोधन या संशोधन या उन्हें हटा दिया जाएगा।ऐसी स्थिति में, विशेष रूप से जब विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय पहले ही उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान कर चुका है, तो इस न्यायालय के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को प्रतिग्रहण करना करना उचित नहीं होगा कि पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान करने वाला निर्णय ऑनलाइन परीक्षा पर लागू नहीं होगा।परीक्षा विभिन्न तरीकों से आयोजित की जा सकती है जैसे कि शारीरिक रूप से पेपर का प्रयास करना या मौखिक या व्यावहारिक या ऑनलाइन परीक्षा द्वारा।ऑक्सफोर्ड लर्नर्स एडवांस्ड डिक्शनरी के अनुसार, 'परीक्षा' शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः-

"एक औपचारिक लिखित, मौखिक या व्यावहारिक परीक्षा, विशेष रूप से स्कूल या कॉलेज में, यह देखने के लिए कि आप किसी विषय के बारे में कितना जानते हैं।"

(11) इस प्रकार, 'परीक्षा' शब्द परीक्षा आयोजित करने के सभी तरीकों को अपने दायरे में ले लेगा।इसलिए, विश्वविद्यालय के इस रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन के लिए प्रदान किया गया विनियमन ऑनलाइन परीक्षा पर लागू नहीं होता है।इस स्तर पर, यह ध्यान दें प्रासंगिक होगा कि ऑनलाइन परीक्षा में भी छात्रों को ए-

4 शीट पर अपने उत्तर लिखने होते थे और उसके बाद या तो इसे विश्वविद्यालय को ऑनलाइन या पंजीकृत डाक द्वारा से भेजना पड़ता था।इस प्रकार, उत्तर पुस्तिकाओं का रिकॉर्ड प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के पास बहुत अधिक उपलब्ध है।वास्तव में, याचिकाकर्ताओं को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्रदान की गई हैं।

(12) इसके अलावा, यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि परीक्षा नियंत्रक ने एक निष्कर्ष के आधार पर यह रुख अपनाया है कि ऑनलाइन परीक्षा में प्रस्तुत उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान हटा दिया गया है क्योंकि समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इसके लिए प्रावधान नहीं है।परीक्षा नियंत्रक द्वारा निकाले गए इस तरह के निष्कर्ष का कोई ठोस आधार नहीं है।एक बार जब एक विशिष्ट विनियमन परीक्षा की पुनः जाँच और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रदान करता है और ऑनलाइन परीक्षा परीक्षा आयोजित करने का केवल एक तरीका है।इसलिए, ऑनलाइन परीक्षा में छात्रों द्वारा प्रस्तुत उत्तर पुस्तिकाओं पर पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के नियम लागू होंगे।

(13) पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर को सावधानीपूर्वक पढ़ने से सीनेट द्वारा विभिन्न नियमों को अधिसूचित किया गया है।

(अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

यह थ्योरी पेपरों की वार्षिक, पूरक, द्विवार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान।विभिन्न विषयों या शोधपत्रों, सत्रात्मक अंकों, आंतरिक मूल्यांकन परियोजनाओं की रिपोर्ट, निबंध, थीसिस और वाइवा वॉस की व्यावहारिक परीक्षा के मामले में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।इस प्रकार, सीनेट ने विनियम बनाते समय केवल उपर्युक्त तरीके से आयोजित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान और उसके लिए 'इजस्दम जेनरिस' के तरीके को बाहर करने का इरादा किया।उपरोक्त विनियमन ऑनलाइन परीक्षा को बाहर नहीं करता है। इस स्तर पर, वर्ष 2019 में जारी कैलेंडर खंड III के अध्याय सी के प्रासंगिक हिस्से को निकालना उचित होगाः-

"उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रणाली जारी रहेगी -

एक उम्मीदवार जो अपनी उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहता है, वह सहायक पंजीयक (पुनर्मूल्यांकन), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़-160014 को निर्धारित आवेदन पत्र पर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है, जिसके साथ स्नातक डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए Rs.300-प्रति उत्तर पुस्तिका और Rs.350-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मूल में विस्तृत अंक पत्र/प्रमाण पत्र के साथ शुल्क देना होगा।

1. इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वार्षिक, पूरक, द्विवार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं के मामले में केवल सैद्धांतिक पत्रों में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति है।विभिन्न विषयों या पेपरों के सत्रात्मक अंकों, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना रिपोर्ट, शोध प्रबंध, थीसिस और वाइवा वॉस में व्यावहारिक परीक्षाओं के मामले में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।"

(14) इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुलपति के पास विनियमन 14 के तहत शक्तियां हैं, हालांकि, इस संबंध में कुलपति का कोई विशिष्ट निर्णय न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है।कुलपति ने 04.09.2020 पर समन्वय समिति के कार्यवृत्त को मंजूरी देते हुए यह सचेत निर्णय नहीं लिया कि ऑनलाइन परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(15) इस मामले की जांच एक और एंगल से की जा सकती है।ऑनलाइन परीक्षा के प्रस्ताव के अनुसार, जिसे मंजूरी दी गई थी, यह स्पष्ट है कि छात्रों को परीक्षा के दिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता थी और प्रश्न पत्र का प्रयास करने के बाद, उन्हें भेजने की आवश्यकता थी

एक ईमेल द्वारा से पीडीएफ प्रारूप में उत्तर पुस्तिका की सॉफ्ट कॉपी स्कैन की गई।इसके अलावा यह आवश्यक था कि उत्तरों को ए-4 आकार के पत्रों पर छात्र द्वारा अपनी लिखावट में देने का प्रयास किया जाए।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से आयोजित ऑनलाइन परीक्षा व्यावहारिक परीक्षा या सत्रात्मक अंकों या आंतरिक मूल्यांकन या परियोजना रिपोर्ट या शोध प्रबंध या मौखिक परीक्षा के माध्यम से आयोजित नहीं की गई थी।इसके अलावा, वर्ष 2009 में प्रकाशित कैलेंडर के खंड III के भाग सी के सावधानीपूर्वक पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन प्रदान किया गया है।उत्तर पुस्तिकाएँ, जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध हैं।इसलिए परीक्षा नियंत्रक का यह निर्णय सही नहीं है कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

(16) इसके अलावा, कथित ऑनलाइन परीक्षा की तारीख पर केवल 8:30 AM बजे प्रश्न पत्र अपलोड करने की सीमा तक है। प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने की शेष प्रक्रिया वही रहती है।एकमात्र जोड़ यह था कि प्रश्न पत्र का प्रयास उम्मीदवार द्वारा दूरस्थ स्थान से किया जाएगा और स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका को एक ईमेल द्वारा से भेजा जाएगा।नेटवर्क समस्या का सामना करने वाले छात्रों को भी एक विकल्प दिया गया था कि वे उत्तर पुस्तिका की हार्ड कॉपी निर्धारित समय के भीतर विश्वविद्यालय में जमा करें या इसे पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजें।इसके अलावा, समिति द्वारा

अनुमोदित परीक्षा योजना को विनियमों के बहिष्कार के लिए एक पूर्ण संहिता नहीं कहा जा सकता है।विनियमों में बनाए गए विभिन्न अन्य प्रावधान ऑनलाइन परीक्षा को नियंत्रित करना जारी रखेंगे, सिवाय इसके कि उन्हें विशेष रूप से बाहर रखा गया है।

(17) प्रतिवादी के विद्वान वकील अजय कुमार कुकरेजा (पूर्व) में पारित निर्णय पर भरोसा करते हैं।इस न्यायालय ने खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय को ध्यान से पढ़ा है।वर्ष 2008 में रेल विभाग ने एक विभागीय परीक्षा आयोजित की जिसमें रिट याचिकाकर्ता असफल रहा।केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि पुनः जाँच और पुनर्मूल्यांकन को अधिकृत करने वाले किसी विशिष्ट नियम की अनुपस्थिति में, उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच और पुनर्मूल्यांकन का आदेश देना उचित नहीं होगा।खण्ड पीठ ने विभिन्न फैसलों की जांच करने के बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा।वर्तमान मामले में, उपरोक्त निर्णय का कोई अनुप्रयोग नहीं है, विशेष रूप से जब उत्तर पुस्तिकाओं/पुस्तकों के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान मौजूद है।

(18) इस पहलू की जांच एक अन्य एंगल से की जा सकती है।यह विवाद में नहीं है कि सीनेट विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है।विनियमन 31.1 के अनुसार, सीनेट

सरकार की मंजूरी से नियम बनाती है। एक बार जब विनियमों को फिर से जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया गया है, तो न तो सिंडिकेट द्वारा गठित समन्वय समिति के पास इसे संशोधित करने या हटाने की शक्ति है और न ही उसने वर्तमान मामले में कभी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है।

(19) उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा नियंत्रक दिनांक 16.09.2020 के निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है।विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करे जैसा कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।

(20) फलस्वरूप, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सावित्री